

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कोतवाली

अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक-20-06-24 को वादी की नाबालिग पुत्री हर्षा की चुंगी से कोचिंग में पढ़ाई करने हेतु गयी देर शाम तक घर वापस नहीं काफी तलाश किया लेकिन नाबालिग पुत्री का कहीं पता नहीं चलने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-384/2024 धारा 363/366 भादवि दि. 26.06.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक 27.7.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 चन्द्रप्रकाश मिश्र पुत्र स्व रविन्द्र मिश्रा निवासी मोहल्ला कुर्मी टोला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को राजघाट पुल के पास से नियमानुसार समय 8.40 बजे गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- चन्द्रप्रकाश मिश्र पुत्र स्व रविन्द्र मिश्रा निवासी मोहल्ला कुर्मी टोला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-384/2024 धारा 363/366 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे , का0 नरेन्द्र तिवारी, का0 सौरभ यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- कोतवाली

दहेज उत्पीड़न में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

आवेदिका श्रीमती श्रीमती खुशबू उपाध्याय पुत्री राज किशोर उपाध्याय निवासी हरैया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मैं विपक्षी चन्दन दूबे पुत्र सन्तोष दूबे साकिन बसगित थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ बी.एस.एफ. की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी करके आवेदिका से विवाह करने के पश्चात् आवेदिका से दहेज की मांग करने, प्रताड़ित करने तथा मारने पीटने जिससे आवेदिका का गर्भपात हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 173/2024 धारा 498A/313/ 323/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट दि. 23.03.24 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक 27.7.24 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि. चन्दन दूबे पुत्र सन्तोष दूबे साकिन बसगित थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को राजघाट पुल के पास से नियमानुसार समय 8.40 बजे गिरफ्तार किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-चन्दन दूबे पुत्र सन्तोष दूबे साकिन बसगित थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1 मु0अ0सं0 173/2024 धारा 498A/313/ 323/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव, कां0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना अतरौलिया
गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अवैध असलहे व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 21.10.23 को थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में गैंग बनाकर पिकप वाहन से 03 राशि गोवंश के मुंह व पैर रस्सी से बांधकर गोवध हेतु ले जाया रहा था कि उ0नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह के चेकिंग के दौरान सिकहुला गांव के पिपरिया मोड़ के पास मय पीकप मय 03 राशि गोवंश को बरामद व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -342/23 धारा - 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0,11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम 1. मनीराम पुत्र विफन सा0 सेल्हरा पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2.मेंहदी हसन पुत्र जुल्फन सा0 मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3.मुन्ना पुत्र तौहिद सा0 मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ था।

➡उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थानाध्यक्ष अतरौलिया की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिनांक 20.07.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡जिसके क्रम में दिनांक 26.07.2024 को थानाध्यक्ष अतरौलिया वीरेन्द्र कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर गैंगलीडर 1. मनीराम पुत्र विफन सा0 सेल्हरा पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ सदस्य 2. मेंहदी हसन पुत्र जुल्फन सा0 मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3.मुन्ना पुत्र तौहिद सा0 मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0274/24 धारा 2(b)(xvii), 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 27.07.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त मनीराम पुत्र विफन सा0 सेल्हरा पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उपरोक्त को 01 देशी तमंचा .315 बोर व 01 देशी कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 11.15 बजे ग्राम महरपुर अंडरपास के समीप से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया। अवैध देशी तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 275/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मनीराम पुत्र विफन सा0 सेल्हरा पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 274/24 धारा 2(b)(xvii), 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986

2. मु0अ0सं0 275/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त - मनीराम पुत्र विफन सा0 सेल्हरा पट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

पूर्व का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 -342/23 धारा - 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0,11 पशु क्रूरता अधि0

बरामदगी - एक अदद तमंचा देशी .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 संतोष कुमार 2. का0 सोनू यादव 3. का0 चन्द्रभूषण थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना – कन्धरापुर

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.07.2024 को वादी श्री शिवचरन निषाद पुत्र स्व० श्यामा निवासी ग्राम सेहदा तालीपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ के द्वारा एक प्रा०पत्र दिया गया कि मेरी पुत्री उम्र करीब 24 वर्ष को दीपक यादव उर्फ रिकू पुत्र श्रीप्रकाश निवासी ग्राम मंझारी थाना तहबरपुर आजमगढ़ अपने साथ आरकेस्ट्रा में नचाता था और पैसा नहीं देता था। जब हम लोगो ने अपनी पुत्री की शादी कर दी और उसको आरकेस्ट्रा में काम करने से मना कर दिया इसी बात को लेकर दिनांक 25.07.24 को रात्रि में करीब 9.00 बजे दीपक यादव उर्फ रिकू पुत्र श्रीप्रकाश उपरोक्त मेरे घर आकर जान से मारने की नियत से मेरी पत्नी मनभावती के ऊपर तमंचे से फायर किया मेरी पत्नी बाल-बाल बच गई जब हम लोगो ने शोर मचाया तो गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी मोटरसाइकिल से भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 209/24 धारा 109, 352, 351(2) BNS बनाम दीपक यादव उर्फ रिकू पुत्र श्रीप्रकाश निवासी ग्राम मंझारी थाना तहबरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 25.07.2024 को पंजीकृत कराया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 26.07.2024 को उ०नि० अमित कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक यादव उर्फ रिकू पुत्र श्री प्रकाश मूल निवासी मंझारी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को अवैध असलहा व कारतूस के साथ ग्राम गोधपुर (पूर्वांचल कट नम्बर 232 के पास) के पास समय करीब 18.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 209/24 धारा 109, 352, 351(2) BNS व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1-दीपक यादव उर्फ रिकू पुत्र श्री प्रकाश मूल निवासी मंझारी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष बरामदगी-

1-एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री अमित कुमार पाल, का० नितिन कुमार मिश्रा, का० आकाश गौड़ थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

थाना गम्भीरपुर

अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 01.06.2024 को वादी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 199/24 धारा -363/366 भादवि 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट बनाम अखिलेश पुत्र अनुरुद्ध पटेल निवासी परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र-22 वर्ष पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना स०पु०अ०/क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सम्पादित की जा रही थी ।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 27.07.2024 को उ०नि० श्री अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश पुत्र अनुरुद्ध पटेल निवासी परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र-22 वर्ष को कस्बा गंभीरपुर के छाऊ में मोड से समय करीब 13.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त अखिलेश पटेल पुत्र अनिरुद्ध पटेल निवासी ग्राम परसुरामपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास:—

1. मु०अ०सं० 199/24 धारा -363/366 भादवि 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण—

1. मुकदमा उपरोक्त की पीडिता बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री अनुपम जायसवाल चौकी प्रभारी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

2. का० सच्चिदानन्द तिवारी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

3. म०का० मीनू दूबे थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।